



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2589]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940

No. 2589]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 2018/ASHADHA 16, 1940

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2018

का.आ. 3343(अ).—राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का 84वां) की धारा 3 की उपधारा (2), (3) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 10 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 307 (स्था.) के अधिक्रमण में, जो कि दिनांक 11 मार्च, 2005 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, एतद्वारा इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लेकर अगले आदेश जारी होने तक निम्नलिखित नामांकन करते हैं :-

(क) केंद्रीय गृहमंत्री का अध्यक्ष के रूप में देना;

(ख) राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सदस्य के रूप में देना; तथा

(ग) राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का उपाध्यक्ष के रूप में नामांकन।

[फा. सं. एनईसी-17/17/2017-निदेशक (एनईसी) का कार्यालय]

सत्य नारायण प्रधान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2018

S.O. 3343(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 3 of the North-Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Development of North Eastern Region number S.O. 307 (E), dated the 10<sup>th</sup> March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11<sup>th</sup> March, 2005, the President hereby makes the following nominations, with effect on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and until further orders, namely:—

- (a) Union Minister of Home Affairs, to be Chairman, *ex officio*;
- (b) Minister of State (In-charge), Ministry of Development of North Eastern Region, to be Member, *ex officio*; and
- (c) Minister of State (In-charge), Ministry of Development of North Eastern Region, to act as Vice-Chairman.

[F.No. NEC-17/17/2017-O/o DIR(NEC)]  
SATYA NARAYAN PRADHAN, Jt. Secy.